न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 27/2018

ओमप्रकाश रोठौर एफ0एस0ओ0 कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पश्चिम मध्य रेल्वे कोटा।

सायल

बनाम

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री चौधरी सिंह वेण्डर आफ श्री शिवाकांत पाण्डे (ऑथराइज्ड पर्सन एण्ड लाईसेंसी) मै0 एक्सप्रेस फूड सर्विसेज रिफ्रेशमेंट रूम, भरतपुर जं0 प्लेटफार्म नं0 2/3 निवासी ग्राम छीतरा रोड पोस्ट तिलारी तहसील चिनारी जिला रोहताश (बिहार)
2. श्री शिवाकांत पाण्डे पुत्र श्री सुरेश चंद पाण्डे पार्टनर आफ मै0 एक्सप्रेस फूड सर्विसेज रिफ्रेशमेंट रूम, भरतपुर जं0 प्लेटफार्म नं0 2/3 निवासी शिवाकांत पाण्डे पुत्र श्री सुरेश चंद जैकब कम्पाउण्ड, भगवती भवन के सामने गुरू गोविन्द सिंह नगर सूरजगंज इटारसी होशंगाबाद (म0प्र0)461111
3. सप्लायर – गोयल ऐजेन्सी रिको रोड, भरतपुर।
4. निर्माता कंपनी– वी एच वी बेबरेज प्रा0लि0 खसरा नं0 15/163, 24/2.25 Distt. Jhajjar (Haryana 124507)
5. सचिन सोलंकी पुत्र सिंघजीत नामिनी आफ मै0 वी एच वी बेबरेज प्रा0लि0 खसरा नं0 151/16/3, 24/2.25 Distt. Jhajjar (Haryana 124507) निवासी सचिन सोलंकी पुत्र सिंघजीत गांव चूल्हावली टूंडला फिरोजाबाद टूंडला (उ0प्र0) 283204....... नोमिनी
6. Marketd and Ditributed by XALTA FOOD & BEVERAGES PVT. LTD. R-37 A, NAYA BAJAR RATIRAM PARK NAJAFGHARH DELHI -110043
7. श्री विष्णू मिततल पुत्र श्री मांगेराम मिततल नोमिनी आफ XALTA FOOD & BEVERAGES PVT. LTD. R-37 A, NAYA BAJAR RATIRAM PARK NAJAFGHARH DELHI -110043 निवास– मकान नं0 136 दीपक विहार नजफगढ दक्षिण पश्चिम दिल्ली 110043

गैर सायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थिति :
श्री नरेशचंद सिंघल वकील गैर सायल ।

निर्णय

दिनांक : 14.6.2018

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ाा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. विरूद्ध गैरसायलान प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायलान मय वकील श्री नरेशचंद उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायलान को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 17.5.2017 को प्रातः 13:00 बजे गैरसायल की फर्म मै0 एक्सप्रेस फूड सर्विसेज रिफ्रेशमेंट रूम, भरतपुर जं0 प्लेटफार्म नं0 2/3 का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त रिफ्रेशमेंट रूम में आम जनता के इस्तेमाल एवं विक्रय हेतु खाद्य वस्तु XALTA GREEN LEMON CARBONATED BEVERAGES WITH FRUIT JUICE 600 M.L. के मूल पैक में रखी हुई पायी गई। जिसमें मिलावट अथवा संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–1171/एक्ट/2017/1238 दिनांक 31.5.2017 द्वारा XALTA GREEN LEMON CARBONATED BEVERAGES WITH FRUIT JUICE 600 M.L. का नमूना मिथ्या छाप/अवमानक (Sub-standard/Misbrand) स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्या छाप/अवमानक (Sub-standard/Misbrand) स्तर की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ाा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर वकील गैरसायल ने कथन किया कि यह XALTA GREEN LEMON CARBONATED BEVERAGES WITH FRUIT JUICE 600 M.L मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में जो कमियां पायी गई है उन्हें सहवनवश भूल एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। जिसका भी हमने तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। गैरसायलान की प्रथम गलती है। अतः गैरसायलान के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण गैर सायल की रिफ्रेशमेंन्ट रूम से आम जनता को विक्रय हेतु पाये गये XALTA GREEN LEMON CARBONATED BEVERAGES WITH FRUIT JUICE 600 M.L का नियमानुसार नमूना लिया जो खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–1171/एक्ट/2017/1238 दिनांक 31.5.2017 द्वारा मिथ्या छाप/अवमानक (Sub-standard/Misbrand) स्तर का पाया गया है। गैर सायलान द्वारा मिथ्या छाप/अवमानक (Sub-standard/Misbrand) स्तर के XALTA GREEN LEMON CARBONATED BEVERAGES WITH FRUIT JUICE 600 M.L का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ाा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. का उल्लघंन किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51–52 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई

अनियमितता के आधार पर गैर सायलान को 20,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायलान द्वारा रसीद संख्या 000062 दिनांक 14.6.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.6.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official